



राजनीतिक शक्ति और सुशासन का संतुलन: एक अध्ययन

डॉ० अजय कुमार सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग

काठगुरु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

विनोद कुमार

शोध छात्र, विधि विभाग

काठगुरु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या

(सम्बन्ध—डॉ०. राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या)

ARTICLE DETAILS

सारांश

Research Paper

मुख्य बिंदु –

सुशासन, शक्ति, संतुलन,
उत्तरदायित्व।

राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन एक कुशल लोकतंत्र की पहचान है। यदि राजनीतिक शक्ति अत्यधिक केंद्रित हो जाए, तो अधिनायकवाद की आशंका रहती है, और यदि शक्ति अत्यधिक विकेन्द्रित हो जाए, तो प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इस शोधपत्र में राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन, उत्तरदायित्व के तंत्र, और लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन विभिन्न देशों के उदाहरणों के माध्यम से दर्शाता है कि पारदर्शिता, भागीदारी, विधि का शासन और स्वतंत्र संस्थान सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक शक्ति के प्रभावी उपयोग और सुशासन के सिद्धांतों के अनुपालन पर निर्भर करती है। राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि नागरिकों के कल्याण और समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना भी होता है। सुशासन का अर्थ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कुशल प्रशासन, और नागरिकों की भागीदारी से है। इस शोधपत्र का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करना और लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका की विवेचना करना है।



2. राजनीतिक शक्ति और सुशासन की परिभाषा

2.1 राजनीतिक शक्ति

शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र द्वारा अन्य व्यक्तियों, समाज या परिस्थितियों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या संचालित करने की क्षमता से है। यह एक व्यापक अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर किया जाता है। शक्ति केवल भौतिक या सैन्य बल तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह ज्ञान, धन, प्रभाव, वैधता और नैतिकता के रूप में भी प्रकट हो सकती है। यह किसी भी व्यवस्था को नियंत्रित करने और बनाए रखने का एक प्रमुख साधन होती है।

शक्ति को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार, शक्ति का उपयोग समाज को सुव्यवस्थित रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने इसे राजनीति का मूल तत्व मानते हुए इसे राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक बताया। मैक्स वेबर के अनुसार, शक्ति वह क्षमता है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह अपने हितों को अन्य व्यक्तियों या समूहों पर लागू कर सकता है, भले ही वे इसके लिए सहमत न हों। माइकल फूको ने शक्ति को सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों और ज्ञान प्रणालियों में निहित बताया, जो व्यक्तियों के विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करती है।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, शक्ति शासन की मूलभूत इकाई होती है, जो सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन के कार्यों को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति संविधान और विधि के अनुसार विभाजित होती है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। वहीं, अधिनायकवादी शासन में शक्ति केंद्रित होती है, जिससे व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

सामाजिक दृष्टि से शक्ति उन कारकों से निर्धारित होती है, जो समाज में किसी व्यक्ति या समूह की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसमें जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक दृष्टि से शक्ति संसाधनों के स्वामित्व और उनके उपयोग की क्षमता से जुड़ी होती है। आर्थिक शक्ति वाले व्यक्ति और संस्थाएँ समाज और राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

शक्ति का सही उपयोग समाज की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है, जबकि इसका दुरुपयोग असमानता, शोषण और संघर्ष को जन्म दे सकता है। शक्ति को नैतिकता और उत्तरदायित्व के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे यह समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य कर सके।

राजनीतिक शक्ति उस क्षमता को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से शासक वर्ग नीतियों और निर्णयों को लागू करता है। यह शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित होती है।



2.2 सुशासन

सुशासन का तात्पर्य एक ऐसी शासन व्यवस्था से है, जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, प्रभावशीलता, और जनहित को प्राथमिकता देती है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें सरकार और उसकी संस्थाएँ सार्वजनिक हित में कुशलता और निष्पक्षता से कार्य करती हैं। सुशासन केवल सरकारी कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, न्याय और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, सुशासन में भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति आधारित निर्णय, समानता, प्रभावशीलता और जवाबदेही जैसे तत्व शामिल होते हैं। भागीदारी का अर्थ है कि सभी नागरिक, विशेषकर कमज़ोर और वंचित वर्ग, नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित हों। विधि का शासन सुशासन का एक अनिवार्य तत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और कोई भी कानून से ऊपर न हो। पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकारी कार्य प्रणाली स्पष्ट और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जिससे नागरिकों को शासन के कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके।

उत्तरदायित्व एक ऐसा सिद्धांत है, जो सरकार और प्रशासन को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन की आधारशिला उत्तरदायित्व ही होती है, क्योंकि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और निर्णय जनता के हित में लिए जाएँ। सुशासन के अंतर्गत सहमति आधारित निर्णय भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका अर्थ यह है कि किसी भी नीति को लागू करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों की राय ली जाए और एक व्यापक सहमति बनाई जाए। समानता और समावेशिता भी सुशासन के आवश्यक तत्व हैं, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करते हैं।

प्रभावशीलता और दक्षता सुशासन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जो प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और उनका प्रभाव सकारात्मक हो। इसके अलावा, सुशासन में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को अपनाना भी आवश्यक होता है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके और प्रशासनिक तंत्र निष्पक्ष रह सके।

आज के समय में सुशासन की आवश्यकता प्रत्येक देश में महसूस की जा रही है, क्योंकि यह नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। सुशासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समाज, मीडिया, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब सभी पक्ष सुशासन की दिशा में कार्य करते हैं, तो समाज में स्थिरता, विकास और



शांति बनी रहती है। इस प्रकार, सुशासन केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक और समावेशी समाज के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है।

शासन किसी देश, राज्य या संगठन की प्रशासनिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें नीति निर्माण, निर्णय लेना और उन्हें लागू करना शामिल होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखती हैं। शासन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना और सरकारी नीतियों को लागू करना होता है, लेकिन इसमें पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी हमेशा सुनिश्चित नहीं होती। कई बार शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल और धीमी हो सकती है, जिससे प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व में कमी आ सकती है। इसके अलावा, शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की संभावना भी शासन प्रणाली में देखी जा सकती है।

इसके विपरीत, सुशासन शासन का एक विकसित और प्रभावी रूप है, जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, प्रभावशीलता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। सुशासन का तात्पर्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली को दर्शाता है, जो समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करती है और उनके समग्र विकास के लिए कार्य करती है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली और पारदर्शी होती है, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। सुशासन में सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है।

शासन में नागरिकों की भागीदारी सीमित हो सकती है, क्योंकि निर्णय मुख्य रूप से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। जबकि सुशासन में नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं और हितों को सीधे तौर पर ध्यान में रखा जा सके। यह शासन प्रणाली विधि के शासन को लागू करने पर बल देती है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, सुशासन में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, जिससे नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्राप्त हो सके।

शासन में प्रभावशीलता और दक्षता की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाएँ जटिल और धीमी होती हैं। इसके विपरीत, सुशासन प्रशासनिक तंत्र को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाता है, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग किया जाता है और योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा, सुशासन समानता और समावेशिता पर विशेष ध्यान देता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं।



इस प्रकार, शासन एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि सुशासन इसका उन्नत रूप है, जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता और विधि के शासन को प्राथमिकता देता है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो न केवल सरकार की कार्यप्रणाली को कुशल बनाती है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करती है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सुशासन में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:

1. भागीदारी – जनता की नीतिगत निर्णयों में भागीदारी।
2. पारदर्शिता – प्रशासन में स्पष्टता और सूचना तक पहुंच।
3. उत्तरदायित्व – शासकों की जनता के प्रति जिम्मेदारी।
4. विधि का शासन – सभी नागरिकों के लिए समान न्याय।
5. दक्षता और प्रभावशीलता – प्रशासनिक तंत्र का कुशल संचालन।

3. राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता

यदि किसी देश में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, तो अधिनायकवाद जन्म ले सकता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर, यदि सत्ता अत्यधिक विकेन्द्रित होती है और प्रशासनिक संस्थान कमजोर होते हैं, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और अराजक हो सकती है। अतः सत्ता और सुशासन के बीच संतुलन आवश्यक है ताकि शासन कुशल, न्यायसंगत और उत्तरदायी बना रहे।

4. लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका

लोकतंत्र में संस्थानों की भूमिका सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती है। ये संस्थान राजनीतिक शक्ति को संतुलित करने का कार्य करते हैं और शासन को उत्तरदायी बनाते हैं।

4.1 विधायिका (Legislature)

विधायिका विधि बनाने, सरकारी नीतियों की समीक्षा करने और सरकार को उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है। यह सरकार के कार्यों की निगरानी करती है और आवश्यकतानुसार नीतिगत सुधार लाती है।



4.2 कार्यपालिका (Executive)

कार्यपालिका प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने, नीति क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी होती है। यदि कार्यपालिका शक्ति का दुरुपयोग करती है, तो लोकतांत्रिक संकट उत्पन्न हो सकता है।

4.3 न्यायपालिका (Judiciary)

न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का कार्य करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका सुशासन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करती है।

4.4 चुनाव आयोग और स्वतंत्र संस्थान

स्वतंत्र चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थान भी सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।

5. उत्तरदायित्व तंत्र और इसकी प्रभावशीलता

5.1 राजनीतिक उत्तरदायित्व

राजनीतिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हों और उनकी नीतियां जनता के कल्याण पर केंद्रित हों। यह चुनावी प्रक्रिया, सार्वजनिक बहस और मीडिया की स्वतंत्रता के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

5.2 प्रशासनिक उत्तरदायित्व

नौकरशाही और सरकारी अधिकारियों को पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से उत्तरदायी बनाया जाता है। लोकपाल, लोकायुक्त और सतर्कता आयोग जैसे संस्थान इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं।

5.3 सामाजिक उत्तरदायित्व

नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और मीडिया का सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये संस्थान सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं और भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करते हैं।



6. अध्ययन: कतिपय देशों के उदाहरण

6.1 भारत

भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती के बावजूद कई बार राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। मजबूत न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार के मामलों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

6.2 स्वीडन और नॉर्वे

स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी नीतियां और उत्तरदायी प्रशासन इन देशों को सुशासन के आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

6.3 चीन

चीन में राजनीतिक शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण है, जहां सरकार का नियंत्रण प्रशासन और मीडिया दोनों पर बना रहता है। हालांकि, आर्थिक नीतियों में सुधार ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया है, लेकिन उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

7. निष्कर्ष

राजनीतिक शक्ति और सुशासन के बीच संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य है। प्रभावी लोकतांत्रिक संस्थान, पारदर्शी प्रशासन, और उत्तरदायी शासन प्रणाली इस संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। सरकारों को राजनीतिक शक्ति के उपयोग में संयम बरतना चाहिए और प्रशासनिक संस्थानों को स्वतंत्र एवं प्रभावी बनाए रखना चाहिए ताकि सुशासन सुनिश्चित किया जा सके।

8. सुझाव

1. संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए – न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सतर्कता आयोग को निष्पक्ष रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. पारदर्शिता और सूचना का अधिकार लागू किया जाए – सूचना तक पहुंच को आसान बनाया जाए ताकि नागरिक प्रशासन पर निगरानी रख सकें।



3. जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए – निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
4. मीडिया और सिविल सोसाइटी को सशक्त बनाया जाए – एक स्वतंत्र प्रेस और जागरूक नागरिक समाज सुशासन को मजबूत करने में सहायक होते हैं।

संदर्भ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)। सतत विकास हेतु सुशासन (2021)।
2. विश्व बैंक। सुशासन और विकास (2020)।
3. भारतीय संविधान (संशोधित संस्करण) 2025।
4. ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023।
5. अमर्त्य सेन। विकास और स्वतंत्रता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1999)।
6. जीन द्रेज़ और अमर्त्य सेन। अनसर्टन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स। पेंगुइन (2013)।
7. सैमुअल पी. हॉटिंगटन। राजनीतिक व्यवस्था और परिवर्तनशील समाज। येल यूनिवर्सिटी प्रेस (1968)।
8. फरीद जकारिया। भविष्य की स्वतंत्रता: स्वदेश और विदेश में अलोकतांत्रिक लोकतंत्र। डब्ल्यू.डब्ल्यू. नॉटन एंड कंपनी (2003)।
9. भारतीय विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टें।
10. भारतीय संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक सुधारों से संबंधित श्वेत पत्र (विभिन्न वर्ष)।
11. विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2023।
12. भारतीय निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2023)।
13. प्रणब बर्धन। भारत में विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1998)।
14. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)। सरकार की कार्यक्षमता रिपोर्ट 2023।
15. नीति आयोग। सुशासन सूचकांक रिपोर्ट 2023।